

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या : 66/2019

निर्णय दिनांक : 04.01.2022

1. शक्ति सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी-ग्राम टोडी रमजानीपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज. हाल दुर्गा विहार ए, रेल्वे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर राज. जरिये मुख्तारआम अजय सिंह चन्द्रावत पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी- श्योपुर गढ प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर राजस्थान।

...वादी

वनाम

1. सुमन सक्तावत पत्नि पृथ्वी सिंह रतनावत, निवासी-श्योपुर हाउस मकान नं. 1581, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, जयपुर।
2. हुमन डवलपमेन्ट एज्यूकेशन सोसायटी चाकसू जरिये अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण मामोडिया उपाध्यक्ष राजेन्द्र गोस्वामी पुत्र घीसीलाल मंत्री श्रवण लाल फागना पुत्र लालाराम गुर्जर, उपमंत्री अविनाश शर्मा पुत्र बद्री नारायण शर्मा कोषाध्यक्ष रामधन सेनी पुत्र मोहरूलाल माली निवासीयान- कस्बा चाकसू, जिला जयपुर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर राज.।

...प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आर.टी. एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिभाषक वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने पर सहमत होने पर वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 03.07.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

तहसीलदार चाकसू को कुर्रैजात मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार चाकसू द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/16/1254 दिनांक 03.03.2016 के संलग्न कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है। उक्त प्रकरण माननीय जिला कलक्टर जयपुर के आदेश से इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वादी की ओर से श्री हेमन्त कुमार गुप्ता एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री राजकुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। वकील उभयपक्षकरान की बहस सुनी जाकर मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि खसरा नम्बर 1288 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1289 रकबा 3.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1307/1432 रकबा 0.24 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर वाके ग्राम सवाईमाधोसिंहपुरा, पटवार हल्का सवाईमाधोसिंहपुरा, भू. अभि. नि. क्षे. कौथून, तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है का तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार है:-

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)



क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारों का नाम व पिता का नाम
1.	1289 1307 / 1432	3.54 0.24	बारानी 2 बारानी 2	28.32 1.52	शक्ति सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह हि 1/3 जाति राजपूत सा. टोडी रमजानीपुरा तहसील सांगानेर, सुमन शक्तावत पत्नि पृथ्वी सिंह रतनावत सा. श्योपुर हाउस म. नं.1518 बाबा हरिशचन्द्र मार्ग जयपुर हि. 1/3 ह्यूमन डवलपमेन्ट एज्युकेशन सोसाईटी चाकसू हि. 1/3
	2	3.78		30.24	योग खाता

नवीन खाता प्रस्तावित कुर्रजात इन्द्राज

नवीन खाता	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	जमा बन्दी चौसाला में नवीन प्रविष्टिया
1.	1289	1.26	बारानी 2	10.08	शक्ति सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत सा. टोडी रमजानीपुरा तहसील सांगानेर,
	1	1.26		10.08	योग खाता
2	1289 / 2 1307 / 1433	1.24 0.02	बारानी2 बारानी2	10.08	सुमन शक्तावत पत्नि पृथ्वी सिंह रतनावत सा. श्योपुर हाउस म. नं.1518 बाबा हरिशचन्द्र मार्ग जयपुर
	2	1.26		10.08	योग खाता
3	1289 / 1 1307 / 1432	1.04 0.22	बारानी2 बारानी2	10.08	ह्यूमन डवलपमेन्ट एज्युकेशन सोसाईटी चाकसू
	2	1.26		10.08	योग खाता

नोट:- खसरा नम्बर 1288 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै0मु0 चाह का जमाबन्दी अनुसार खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार चाकसू को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट किया जाकर अलग अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु तहसीलदार चाकसू को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर (द्वितीय) (सांगानेर)  
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)  
जयपुर